

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :- 07/2024

जीसीएमएस नम्बर :- 2024/78

अनवान

1. सुवा पिता मांगु कुमावत निवासी पाटियो का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. छितर पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा पिता लक्ष्मण गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भज्जाराम पिता दयाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपी पिता दयाराम गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. चम्पा पिता नारायण गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. राजु लाल नायक – अधिवक्ता प्रार्थी
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 एकपक्षीय
3. अमरसिंह चारण – विपक्षी संख्या 4 लगायत 5 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:-06.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि –


1. राजस्व ग्राम सगरेव तहसील रायपुर की साविक आराजी संख्या 44 रकबा 8 बीघा भूमि खातेदार लक्ष्मण पिता धन्ना, नारायण पिता धन्ना गुर्जर, गंगाराम पिता दयाराम, भज्जाराम पिता दयाराम, गोपी पिता दयाराम सर्व जाति गुर्जर निवासी सगरेव के नाम चली आ रही थी प्रमाण में साविक जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 की पेश की है। नारायण पिता धन्ना का स्वर्गवास होने से उदा पिता नारायण, चंपा पिता नारायण केशी बेवा नारायण सर्व जाती गुर्जर सर्व निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा नारायण के वारिस हुए थे।
2. उक्त जमाबन्दी में दर्ज गंगाराम पिता दयाराम के लावारिस फोत होने में गंगाराम पिता दयाराम का हिस्सा भज्जा पिता दयाराम, गोपी पिता दयाराम गुर्जर निवासी सगरेव में निहित हो गया था। उक्त जमाबन्दी के अनुसार नारायण तथा नारायण के वारिसों का 1/3 हिस्सा व भज्जा, गोपी पिता दयाराम का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व लक्ष्मण पिता धन्ना का भी 1/3 हिस्सा निहित था। प्रार्थी ने दिनांक 06/03/1993 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के साविक आराजी संख्या 44 रकबा 8 बीघा में से उदा, चम्पा पिता नारायण तथा केशी बेवा नारायण गुर्जर और भज्जा, गोपी पिता दयाराम गुर्जर का सम्पूर्ण 2/3 हक व



उपखण्ड अधिकारी

- हिस्सा खरीद पंजीयन करवाया गया था जिस पर प्रार्थी अपने द्वारा क्रय शुदा आराजी भूमि के रकबे 8 बीघा में से पांच बीघा चार बिस्वा पर काबिज हो काशत करता चला आ रहा है।
3. साबिक आराजी संख्या 44 रकबा 8 बीघा के नवीन आराजी संख्या 140 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 141 रकबा 1.72 हैक्टेयर कुल रकबा 1.73 हेक्टेयर बने जो वर्तमान रिकॉर्ड की खाता संख्या 184 के खाता नकल संवत 2076 से 2079 में दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है।
 4. प्रार्थी को दिनांक 01/01/24 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत पाच द्वारा इस जमीन को लेकर गाली गलोज करने व दिनांक 03/01/24 को प्रतिवादी संख्या एक लगायत पाच ने प्रार्थी की कब्जे काशत आराजी की पश्चिम दिशा की तरफ वनी कच्चे पत्थरों की तीन फीट चौड़ी व पाच फीट ऊँची पूरी दीवार को जसीबी मशीन में तोड़ ट्रेक्टरों की सहायता से रात के अंधेरे में पैंतीस से चालीस पत्थरों के ट्रिप को चुरा के ले गए। दिनांक 04/01/24 को प्रार्थी द्वारा उक्त आराजियात से सम्बंधित दस्तावेज रिकॉर्ड निकालने पर पता चला की प्रार्थी द्वारा खरीदी गयी कृषि भूमि पांच बीघा चार बिस्वा का नामांतरण प्रार्थी के नाम नहीं खुलकर चार बीघा रकबा ही प्रार्थी के नाम पर आया। प्रार्थी के क्रय सुदा 2/3 हक व हिस्से के मुकाबले 1/2 हिस्सा ही दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी अपनी क्रय शुदा रजिस्ट्रीकृत भूमि के मुकाबले कमी दर्ज रकबा का खातेदार काशतकार घोषित कराए जाने का हकदार है।
 5. अतः प्रार्थी का सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 लगायत 5 के अनुसार प्रार्थी के वर्तमान रेकार्ड में 1/2 हिस्से के स्थान पर 2/3 हिस्से की प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी घोषणा कर, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त दर्ज 1/2 हिस्से में से ज्यादा दर्ज हुए कृषि भूमि के भाग को कम करवा, प्रार्थी खातेदारी घोषणा का अधिकारी होने से, प्रार्थी के पक्ष में उक्त आशय की डिक्री फरमाई जाने तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 व 7 में अंकित सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थी के पक्ष में ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावें।
 6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध दिनांक 12.08.2025 को एकतरफा निर्णय किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री अमरसिंह चारण द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।
 7. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा भूमि कय की गई जिसके दस्तावेज पत्रावली में संलग्न किये गये हैं। पंजीयन दस्तावेज दिनांक 06.03.1993 के आधार पर प्रार्थी का 2/3 हक हिस्सा निहित होता है जबकि प्रार्थी के खाते में 1/2 हिस्से का अंकन किया गया जो गलत है जिस हेतु खातेदारी का घोषणात्मक डिक्री जारी करने का वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सोनपट्ट

8. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। जब तक न्यायालय से निर्णय जारी नहीं किया जाता है तब तक प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार है और प्रार्थी व विपक्षी अपने-अपने हिस्से अनुसार काविज होकर काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूलवाद के निस्तारण तक स्वीकार योग्य नहीं है।
9. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थी के द्वारा साविक आराजी संख्या 44 रकबा 8 बीघा भूमि में से 2/3 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 06.03.1993 को क्रय किया गया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई हैं। नवीन आराजी संख्या 140 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 141 रकबा 1.72 हैक्टेयर कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दर्ज हुआ है। मौके पर विपक्षीगण काविज होकर कब्जे काश्त में दखल करना चाहे रहे हैं विपक्षी का मुख्य कथन है कि मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। जमाबन्दी में त्रुटी है या नहीं का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य व सबुत के आधार पर होना है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। मूलवाद के निर्णय तक विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द-बुर्द या निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों द्वारा यथारिथिति बनाये रखी जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सगरेव के नवीन आराजी संख्या 140 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी संख्या 141 रकबा 1.72 हैक्टेयर कुल रकबा 1.73 हैक्टेयर भूमि उभयपक्ष रेकार्ड और मौके की यथारिथिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
(स.स.उ.ओ. रायपुर लवाड़ा)